बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

::आदेश::

सं0सं0–9/आ०–03–36/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–....................................

डॉ० हरि प्रसाद, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध औचक निरीक्षण में रोस्टर ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत नहीं करने, अनुपस्थित चिकित्सकों के वेतनादि का भुगतान करने, दवा वितरण, साफ–सफाई एवं सुरक्षा तथा जाँच की कुव्यवस्था पाये जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–1368(9) दिनांक–27.12.2024 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि तक लेवल–14 के प्रक्रम–14 से प्रक्रम–13 पर अवनत करने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. डॉ० प्रसाद के द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध दिनांक–20.08.2025 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उक्त अभ्यावेदन में अंकित किया है कि दण्डादेश संसूचित होने के पश्चात् वे अस्वस्थ हो गये इसलिए ससमय पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित नहीं किये, जिसे क्षान्त करते हुए पुनर्विचार अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामलें की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ0 प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा नया तथ्य/साक्ष्य अभिलिखि उपलब्ध नहीं कराया गया है जो सुविचारित प्रदत शास्ति को क्षान्त करता हो। फलतः डॉ० प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित की श्रेणी में रहने एवं नये तथ्यों/साक्ष्यों के अभाव में पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है।

4. अतएव अधिसूचना सं०–1368(9) दिनांक–27.12.2024 द्वारा, संचयी प्रभाव के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि तक लेवल–14 के प्रक्रम–14 से प्रक्रम–13 पर अवनत करने की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को यथावत रखते हुए डॉ० हरि प्रसाद, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उपुर्यक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–9/आ०–03–36/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–03–36/2024(स्वा0) 1292(9) **/पटना, दिनांकः–** 23.12.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं,

23/12/2025

(15)

बिहार पटना / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० हरि प्रसाद, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–मोहल्ला–एम०आई०जी०–50, लोहियानगर, पो०–कंकड़बाग, थाना–कंकड़बाग, पटना–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/12/2025

सरकार के अवर सचिव।